

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 17/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.



सतवन्त सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. कुलदीप कौर उर्फ कुलजीत कौर पत्नी श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखवीर कौर पुत्री श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी सतवन्त सिंह ने प्रतिवादीगण कुलदीप कौर उर्फ कुलजीत कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 22 ए. एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से 2.277 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीव प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया क्योंकि प्रतिवादीया सं. 1 के पास अपना जीवनयापन



लगातार --2



करने के लिये पर्याप्त संसाधन है तथा प्रतिवादीया सं. 2 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादी सतवन्त सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तह.

संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 2.277 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 एवं चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने का सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।



वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से 2.277 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से 2.277 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 24/2024

सतवन्त सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्



- कुलदीप कौर उर्फ कुलजीत कौर पत्नी श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- सुखवीर कौर पुत्री श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 22 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/82 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से 2.277 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल बाबत् ...
.....निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.02. 2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया